राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

कार्यालय, समन्वयक, प्री डी.एल.एड. परीक्षा, 2022 एवं पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर

वैबसाइट विज्ञापन संख्याः 17/2022 दिनांक 08.03.2023

—:अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना:—

प्री डी.एल.एड परीक्षा, 2022 हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन एवं शासन के आदेशों की अनुपालना में सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रक्रिया में दो नवीन निजी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं (महिला) को सम्मिलित करने के उपरान्त संशोधित काउन्सलिंग कैलेण्डर निम्नानुसार जारी किया जाता हैः–

संशोधित काउन्सलिंग कैलेण्डर

ऑनलाइन काउन्सलिंग के चरण	दिनांक/अवधि
काउन्सलिंग मे सम्मिलित दो नवीन अध्यापक शिक्षा संस्थाओं (महिला) द्वारा प्रोफाईल अपडेट करना।	08.03.2023 से 09.03.2023
पूर्व में प्रवेशित महिला छात्राध्यापकों द्वारा दो नये अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक होने की स्थिति में अपवर्ड मूवमेण्ट की सहमति प्रदान करते हुए अपने पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी भी क्रम संख्या पर जोड़ने का कार्य पोर्टल पर ऑनलाइन करना। **विशेष** – पूर्व में प्रवेशित पुरूष छात्राध्यापकों द्वारा अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन सहमति प्रदान करना।	10.03.2023 से 14.03.2023
संस्था आवण्टन के प्रथम चरण में संस्था आवण्टन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन–एडमिटेड महिला अभ्यर्थी उपर्युक्त दो नये शिक्षा संस्थानों में यदि प्रवेश की इच्छुक हैं तो उनके द्वारा पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी भी क्रम संख्या पर इन्हें जोड़ने का कार्य पोर्टल पर ऑनलाइन करना। **विशेष** – संस्था आवण्टन के प्रथम चरण में संस्था आवण्टन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन–एडमिटेड पुरूष अभ्यर्थी को पोर्टल पर कोई गतिविधि नहीं करनी है।	10.03.2023 से 14.03.2023

नोटः–

- नई सम्मिलित उपर्युक्त दो महिला संस्थाओं के लिए ऑनलाइन विकल्प केवल महिला अभ्यर्थियों द्वारा ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
- प्रथम आवंटन में प्रवेश ले चुकीं महिला अभ्यर्थियों के इन दो नये अध्यापक शिक्षा संस्थानों (महिला) में प्रवेश की इच्छुक होने की स्थिति में अपवर्ड मूवमेण्ट की सहमति प्रदान करते हुए वे अपने पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी भी क्रम संख्या पर इन दो नए संस्थानों को जोड़ने का कार्य पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकेंगी।
- जो प्रवेशित महिला अभ्यर्थी पूर्व में अपवर्ड मूवमेण्ट देने हेतु सहमति प्रदान कर चुकी हैं एवं उपर्युक्त दो नवीन महिला शिक्षक संस्थाओं में प्रवेश की इच्छुक नहीं हैं, उन्हें पोर्टल पर किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करनी है, उनके द्वारा पूर्व में किया गया आवेदन प्रभावी रहेगा।
- संस्था आवण्टन के प्रथम चरण में संस्था आवण्टन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन–एडमिटेड महिला अभ्यर्थी उपर्युक्त दो नये शिक्षा संस्थानों में यदि प्रवेश की इच्छुक हैं तो वे उनके द्वारा पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी भी क्रम संख्या पर इन दो नए अध्यापक शिक्षा संस्थानों (महिला) को जोड़ने का कार्य पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकेंगी।
- प्रथम चरण में संस्था आवण्टन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन–एडमिटेड महिला अभ्यर्थी जो उपर्युक्त दो नवीन महिला शिक्षक संस्थाओं में प्रवेश की इच्छुक नहीं हैं, उन्हें पोर्टल पर किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करनी है, उनके द्वारा पूर्व में आवेदित वरीयता क्रम प्रभावी रहेगा तथा तदनुसार द्वितीय आवंटन किया जाएगा।

- संस्था आवण्टन के प्रथम चरण में प्रवेशित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी इस अवधि में अपवर्ड मूवमेण्ट के लिए सहमति/असहमति (YES/NO) का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।
- संस्था आवण्टन के प्रथम चरण में संस्था आवण्टन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन–एडमिटेड पुरुष अभ्यर्थियों को पोर्टल पर किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करनी है, उनके द्वारा पूर्व में आवेदित वरीयता क्रम प्रभावी रहेगा तथा तदनुसार द्वितीय आवंटन किया जाएगा।
- अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी का संस्थान परिवर्तन उसके द्वारा चाही गई वरीयता में से हो जाता है तो पुरानी प्रवेशित संस्थान में उसका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा तथा नई प्रवेशित अध्यापक शिक्षा संस्थान में उसे पुनः ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी।
- संस्था आवण्टन के प्रथम चरण में प्रवेशित किसी अभ्यर्थी का संस्थान परिवर्तन होने की स्थिति में उससे नवीन संस्थान द्वारा डीएलएड प्रथम वर्ष हेतु पुनः शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस विज्ञापन के सभी बिन्दुओं का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ही अधिकृत वैबसाईट www.panjiyakpredeled.in पर संशोधित काउन्सलिगं प्रक्रिया में आवेदन करेंगे।

समन्वयक प्रीडीएलएड

Signature valid

Digitally signed by Sanjay Sengar
Designation: District Education Officer
Date: 2023.03.08 14:18:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3327308